प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

3 days "Investigation of Cases under POCSO Act 2012"

(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)

दिनांक 03-02-2021 से 05-02-2021

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक **03-02-2021** से **05-02-2021** **"Investigation of Cases under POCSO Act 2012"** विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल 04 में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्व वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 18 प्रतिभागियों जिसमें 02 उप पुलिस अधीक्षक, 02 पुलिस निरीक्षक, 14 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

दिनांक 03-02-2021, 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय दिया गया। प्रथम दिन के प्रथम सत्र में श्री चतुर्भुज शर्मा, एडीपी, आरपीए ने किशोर (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और पोक्सो मामलों से संबंधित विषय पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय एवं तृतीय सत्र में डॉ. दीपाली पाठक, ऐसोसिएट प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन एसएमएस अस्पताल, जयपुर ने मेडिको पोक्सो एक्ट, यौन हिंसा की कानूनी परिभाषा, चोट के बाद का समय, उम्र का अनुमान, मेडिको कानूनी जांच, रिपोर्टिंग आदि पर अपना व्याख्यान दिया। MoHFW के दिशानिर्देश और प्राटोकॉल के अनुसार बचे हुए लोगों के लिए मेडिको-लीगल केयर, यौन हिंसा के शिकार बच्चों और प्रतिक्रियाशील मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना, पीडितों के लिए मेडिको-लीगल केयर के बारे में पुलिस – न्यायपालिका इंटरफेस और बच्चे/पीडितों के लिए साइको सोशल केयर के दिशा-निर्देश, स्वास्थ्य, यौन हिंसा की मेडिको-लीगल एग्जामिशन रिपोर्ट पर चर्चा की।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में श्री धन्नाराम (सेवानिवृत्त) एडीजे ने पोक्सो अधिनियम के तहत जांच के व्यावहारिक पहलू, पोक्सो अधिनियम के तहत अन्वेषण के व्यावहारिक पहलू पर चर्चा करते हुये क्या करे और क्या

नहीं करे पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री आर. एस. शर्मा (सेवानिवृत्त) निदेशक, एफ.एस.एल. जयपुर ने पोक्सो अधिनियम और इससे संबंधित मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य का महत्व SAECK किट का भौतिक साक्ष्य संग्रह में उपयोग विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने एफआईआर, बयानों की रिकॉर्डिंग और पीडित की मेडिकल जांच के विशेष प्रावधानों के बारे में चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री चतुर्भुज शर्मा, एडीपी, आरपीए ने पोक्सो अधिनियम 2012 के उद्देश्य और कानूनी प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में 03:00 पीएम पर प्रतिभागियो से पोक्सो विषय पर चर्चा की, सहायक कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री कैलाश चन्द्र, डीआईजीपी, आरपीए द्वारा प्रतिभागियो से पोक्सो विषय पर चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।